अपील सूचना अधिकार संख्या 30/2021 (GCMS 2021/51)(आरटीआई पोर्टल 212219580787470) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 70 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

02.03.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुआ और कथन किया कि उसने जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 13.01.2021 से ग्यारह बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोकसूचना अधिकारीपर 25000/— रूपये शास्ति अधिरोपित करने एवं वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 13.01.2021 के द्वारा जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

1. पत्रांक प्रार्थी 7812 दिनांक 17. 12.2000 आपके विभाग जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर में पहुंचने पर उनके क्रमांक पहुचने की तारीख व दिनांक की सूचना व प्रमाणित प्रति।
2. प्रार्थी का राशनकार्ड क्रमांक 37500000079163167 प्रार्थी को जिस दिवस जारी जिस कर्मचारी व संस्था द्वारा किया गया, उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
3. प्रार्थी के पत्रांक 17.12.2000 पर की गई कार्यवाही की सूचना व प्रमाणित प्रति।
4. पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मचारी व अधिकारी का नाम व पद की सूचना [illegible] प्रति की सूचना व प्रमाणित प्रति।
5. प्रार्थी के पत्रांक [illegible] कार्यालय में पहुंचने की तारीख व पत्र प्राप्ति की क्रमांक व दिनांक की [illegible] व प्रमाणित प्रति।
6. पत्र पर जो जो कार्यवाही जिस–जिस कर्मचारी द्वारा की गई है, उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:51:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

7. कार्यवाही न करने के नियम की सूचना व प्रमाणित प्रति।
8. प्रार्थी के पत्रांक दिनांक 28.10.2020 आपके कार्यालय में पहुंचने की तारीख व क्रमांक की सूचना।
9. पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मचारी व अधिकारी का नाम व कार्यवाही की सूचनां
10. 105 नूतन सहकारी उपभोक्ता भण्डार, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 15.07.2017 से दिनांक 19.02.2017 तक जो राशन जिस व्यक्ति को दिया उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।
11. 134, जी ब्लॉक सहकारी उपभोक्ता भण्डार, वार्ड सं. 31 व 161 जी ब्लॉक, श्रीगंगानगर द्वारा वार्ड सं 42 द्वारा जो राशन जिस व्यक्ति को दिया गया है, सूचना व प्रमाणित प्रति।

लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगागर ने अपने पत्र क्रमांक 675 दिनांक 19.02.2021 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है आपके द्वारा दिनांक 20.01.2021 का प्रस्तुत आरटीआई प्रार्थना पत्र में निम्नलिखित सूचना चाही गई है:

1. पत्रांक प्रार्थी 7812 दिनांक 17. 12.2000 आपके विभाग जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर में पहुंचने पर उनके क्रमांक पहुचने की तारीख व दिनांक की सूचना व प्रमाणित प्रति।
2. प्रार्थी का राशनकार्ड क्रमांक 37500000079163167 प्रार्थी को जिस दिवस जारी जिस कर्मचारी व संस्था द्वारा किया गया, उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
3. प्रार्थी के पत्रांक 17.12.2000 पर की गई कार्यवाही की सूचना व प्रमाणित प्रति।
4. पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मचारी व अधिकारी का नाम व पद की सूचना व कार्य[illegible] दिन प्रति की सूचना व प्रमाणित प्रति।
5. प्रार्थी के पत्रांक दिनांक [illegible]000 आपके कार्यालय में पहुंचने की तारीख व पत्र प्रा[illegible] की क्रमांक व दिनांक की सूचना व प्रमाणित प्रति।
6. पत्र पर जो जो कार्यवाही जिस–जिस कर्मचारी द्वारा की गई है, उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:51:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

7. कार्यवाही न करने के नियम की सूचना व प्रमाणित प्रति।
8. प्रार्थी के पत्रांक दिनांक 28.10.2020 आपके कार्यालय में पहुंचने की तारीख व क्रमांक की सूचना।
9. पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मचारी व अधिकारी का नाम व कार्यवाही की सूचनां
10. 105 नूतन सहकारी उपभोक्ता भण्डार, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 15.07.2017 से दिनांक 19.02.2017 तक जो राशन जिस व्यक्ति को दिया उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।
11. 134, जी ब्लॉक सहकारी उपभोक्ता भण्डार, वार्ड सं. 31 व 161 जी ब्लॉक, श्रीगंगानगर द्वारा वार्ड सं 42 द्वारा जो राशन जिस व्यक्ति को दिया गया है, सूचना व प्रमाणित प्रति।

1. बिन्दु संख्या 01 व 03 में अंकित पत्रांक 7812/17.12.2020 के संबंध में कार्यालय में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, पत्रांक 7812/17.12.2020 कार्यालय को प्राप्त नहीं है।

2. बिन्दु संख्या 02 में अंकित राशनकार्ड क्रमांक 37500000079163167 काल्पनिक प्रतीत होती है, इस पेटर्न की कोई संख्या वर्तमान में खाद्य विभाग जयपुर द्वारा प्रचलित नहीं की गई है, जिसको की आपको उपलब्ध करवाया जा सके।

3. बिन्दु संख्या 04, 06, 07, 09 के संबंध में लेख है कि पूर्व में अपील सूचना अधिकारी संख्या 80/2020 में आमिर खान बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर में पारित निर्णय दिनांक 26.08.20 के पेज संख्या 3 पर अंकितानुसार सूचना के रूप में सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्रदान करने की भी कोई गुंजाईश नहीं है। अतः आप द्वारा अद्योहस्ताक्षरकर्ता को पेश प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही जैरकार नहीं होने के कारण उक्त निर्णय की छाया में सूचना नहीं जा सकती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:51:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

4. बिन्दु संख्या 05 व 08 के संबंध में लेख है प्रार्थना पत्र दिनांक 11.08.2020 व 28.10.2020 आपके द्वारा अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को व्यक्तिगत पेश किया गया है, जिसे उनके द्वारा मार्क करके संबंधित शाखा को कार्यवाही हेतु दिया गया है, कार्यवाही जैरकार है।

5. बिन्दु संख्या 10 व 11 के संबंध में लेख है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर द्वारा पारदर्शी राशन वितरण प्रणाली के तहत विभागीय पोर्टल पर प्रत्येक राशनकार्ड के वितरण की सूचना राशनकार्डवार उपलब्ध करवाई गई है, जिसको कोई भी राशनकार्ड की संख्या दर्ज करके प्राप्त करना है, इस संबंध में कार्यालय द्वारा स्वयं कोई वितरण का रिकॉर्ड कार्यालय में संधारित नही किया जाता है, विभागीय पोर्टल का लिंक इस प्रकार है,

https://food.raj.nic.in/SearchRationCardOld.aspx

राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2''च'' में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रैस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा रिपार्ट, कागजपत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ो संबंधी सामग्री शामिल है। प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र प'22(16)प्रसू/सूअप/2010 जयपुर दिनांक 16.12.2011 में यह स्पष्ट किया गया है कि सूचना में ''क्यों'' प्रश्न के उ[illegible] पैटीशन संख्या 419/2007 डा. सेल[illegible] किया गया है कि सूचना की परि[illegible] क्यों वाले प्रश्नों के उत्तर शामिल नहीं कर सकती। लोक सूचना [illegible]कारी द्वारा सूचना सृजितउ करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:51:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है। अतः आरटीआई में धारा 7(9)में ऐसी सूचना उपलब्ध कराया जाना वर्जित है।

इस सम्बन्ध में आपकी कोई उज्र या एतराज हो तो आप इस सम्बन्ध में 30 दिवस की अवधि में प्रथम अपील अधिकारी श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर को अपील प्रस्तुत कर सकते है।

-sd--
लोक सूचना अधिकारी एवं
जिला रसद अधिकारी
श्रीगंगानगर

चूंकि लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को बिन्दुवार उक्तानुसार सूचित किया जा चुका है और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है **जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए**। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधि[illegible] पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को [illegible] तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है।** [illegible] **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:31:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा **जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी** द्वारा उक्तानुसार जो उत्तर दिया गया है, वह **सही है, जिसमें** किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता नही है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज **करने योग्य है।** फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए **लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर** को निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 5 व 8 की कार्यवाही पूर्ण हो गई हो और उक्त सूचनाएं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत देय हो तो अपीलार्थी को नियमानुसार उपलबध करवा दी जावे।

अतः अपीलार्थी की अपील उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 02.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:51:28 IST
Reason: SelfAttested

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर